# न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी कपासन
## जिला चित्तौडगढ
**पीठासीन अधिकारी राजेश सुवालका (आर0ए0एस0)**

प्रकरण संख्या / 27 / 2025 वाद

दायर दिनांक 04.03.2025

**उनवान**

| | |
|---|---|
| 1. ललीत कुमार पुत्र देवीलाल जाति टांक आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)। | 1. शंकरलाल पुत्र रामचन्द्र नाई आयु वयस्क निवासी कपासन तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)।<br>2. भूमिधारी तहसीलदार तहसील कपासन जिला चित्तौड़गढ़। |

उपस्थितिः— अधिवक्ता श्री सुरेश चन्द्र शर्मा —वादी

एकतरफा —प्रतिवादीगण

—: वाद पत्र अन्तर्गत 53 आर.टी.एक्ट :—

**निर्णय दिनांकः 08.04.2025**

**—:निर्णयः—**

संक्षिप्त में विवरण इस प्रकार है कि वादी ने वाद पत्र अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान टिनेन्सी एक्ट 1955 के प्रस्तुत कर निम्न निवेदन किया कि वादी एवं प्रतिवादी के संयुक्त खातेदारी एवं कब्जे काश्त उपयोग उपभोग की आराजीयात मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के खाता संख्या 2081 के आराजी नम्बर 2898, 2899, 2901 कुल किता 03 कुल रकबा 1.18 हैक्ट0 स्थित है व निवेदन किया कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध इस आशय की डिक्री प्रदान की जावें कि वादी व प्रतिवादीगण के मौके व कब्जे को ध्यान में रखकर विभाजन की डिक्री प्रदान की जावें कि जैरबहस वादपत्र की कॉलम संख्या 1 वर्णित आराजीयात में वादी के हक हिस्से व मौके व कब्जे को ध्यान में रखते हुए विभाजन किया जाकर वादी के हिस्से की आराजी नम्बर तन्हा वादी के नाम पर खातेदारी हक से अंकित की जावें एवं पृथक से जमाबन्दी कायम की जावें।

—यह कि वादी के पक्ष में प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा की डिक्री इस आशय की प्रदान की जावें कि वादी को उसके हक हिस्से की आराजीयात से बेदखल नही करे व उपयोग उपभोग में बाधा नहीं डाले, न ही अन्य दिगर व्यक्ति को अन्तरित करे इस आशय की स्थाई निषेधांज्ञा की डिक्री बहक वादी खिलाफ प्रतिवादीगण जारी फरमाई जावें।

हमने वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया। प्रतिवादी संख्या 1 के विरूद्ध बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से आज दिनांक 19.03.2025 को एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। बहस वादी अधिवक्ता सुनी जाकर उक्त वाद पत्र में दिनांक 19.03.2025 को प्राथमिक रूप से स्वीकार किया जाकर प्राथमिक डिकी जारी की गई। जिस पर तहसीलदार कपासन द्वारा बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 02.04.2025 से प्रस्तुत की गई जो शा0फा0 की गयी। बहस वादी अधिववक्ता सुनी गई। वकील वादी ने अन्तिम डिक्री किये जाने में कोई आपत्ति जाहिर नही की। अतः वादी अधिवक्ता के निवेदन को स्वीकार किया जाकर आज दिनांक 08.04.2025 को वाद पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तिम रूप से डिकी इस आशय की दी जाती है की मौजा कपासन पटवार हल्का कपासनए तहसील कपासन के खाता संख्या 2081 के आराजी नम्बर 2898, 2899, 2901 कुल किता 03 कुल रकबा 1.18 हैक्ट0 स्थित हैं, में तहसीलदार कपासन से प्राप्त बटवाडा रिपोर्ट दिनांक 02.04.2025 के अनुसार निम्नानुसार बटवाडा किया जाता है—

सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
कपासन जिला-चित्तौडगढ

ललित कुमार पिता देवीलाल जाति टांक हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार सा0 बालारडा

| क.स. | आ0स0 | रकबा (है0) | किस्म |
|---|---|---|---|
| 1 | 2901 | 0.49 | चाही 3 |
| 2 | 2898 / 2 | 0.20 | पड़त 1 |
| 3 | 2899 / 2 | 0.29 | चाही 1 |
| योग | कुल किता–03 | 0.98 | |

2. शंकरलाल पिता रामचन्द्र जाति नाई हिस्सा पूर्ण सा0 देह खातेदार

| क.स. | आ0स0 | रकबा (है0) | किस्म |
|---|---|---|---|
| 1 | 2898 / 1 | 0.10 | पड़त 1 |
| 2 | 2899 / 1 | 0.10 | चाही 1 |
| योग | कुल किता–02 | 0.20 | |

तदनुसार अंकन हो। रहन बदस्तुर रहे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें, अंतिम पर्चा डिक्री जारी हो व पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। निर्णय मेरे द्वारा आज दिनांक 08.04.2025 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

कार्यालय उपखण्ड अधिकारी, कपासन
जिला-चित्तौड़गढ़

(राजेश [illegible])
सहायक कलेक्टर व
उपखण्ड अधिकारी कपासन